सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
योजना आयोग, भारत सरकार

आधार नामांकन प्रक्रिया में परिचयकर्ता की भूमिका

आधार

विषय – वस्तु तालिका

उद्देश्य 1

आधार क्या है? 1

आधार के फायदे 1

आधार कार्यक्रम के लिए निवासियों से एकत्रित सूचना 2

- जनसांख्यिकीय सूचना 2
- बायोमेट्रिक सूचना 3

परिचयकर्ता कौन है? 4

परिचयकर्ता प्रणाली से किसे फायदा पहुंच सकता है 5

एक परिचयकर्ता बनने से पहले की आवश्यकताएं 5

परिचयकर्ता के कार्य और जिम्मेवारियां 5

परिचयकर्ता की देयताएं 7

अनुबंध 8

उद्देश्य

इस हस्तपुस्तिका से आपको यह जानने में मदद मिलेगी –

- विशिष्ट पहचान (यू आई डी) संख्या / आधार
- निवासियों और सरकार के लिए यू आई डी की आवश्यकता और लाभ
- किसी निर्धारित दस्तावेजों के बिना निवासी को नामांकित करना
- परिचयकर्ता की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

आधार क्या है?

- भारत के प्रत्येक निवासी के लिए यह एक औचकरूप से तैयार 12–अंकीय संख्या है।
  उदाहरणार्थ : 265385644663 – यह संख्या यू आई डी संख्या या आधार कहलाती है।
- यह संख्या विशिष्ट है, जिसका अर्थ है कि किन्हीं दो निवासियों की एक जैसी संख्या नहीं होगी।
- किसी भी निवासी का एक से अधिक आधार नहीं होगा।
- आधार का प्रयोग पहचान सिद्ध करना होगा ना कि नागरिकता।
- आधार हर व्यक्ति को पहचान देगा।

प्रत्येक आधार के साथ जुड़ी बायोमेट्रिक सूचना विशिष्टता सुनिश्चित करेगी।

आधार के फायदे

निवासियों के लिए लाभ

- आधार ऐसे उपेक्षित और वंचित लोगों को पहचान प्रदान करेगा जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत फायदे प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- आधार ऐसे लेन–देनों की लागत कम करेगा जो फायदों तक पहुंच पाने के लिए जरूरी हैं।
- आधार समर्थित अनुप्रयोग जैसे आधार से जुड़े बैंक खाते।
- आधार सुनिश्चित करेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने पर पहचान सिद्व करना एक बाधा न बने।

आधार कार्यक्रम के लिए निवासियों से एकत्रित सूचना

निवासी यू आई डी ए आई द्वारा तय मार्गनिर्देशों और मानकों पर आधारित पंजीयकों और नामांकन एजेंसियों द्वारा खोले गए नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए नामांकित होते हैं। यू आई डी ए आई का खासतौर पर कहना है कि आधार जारी करने हेतु निवासी के बारे में नीचे दी सूचना लेनी जरूरी होगी।

जनसांख्यिकीय सूचना

1. **के वाई आर सूचना**

   नामांकन के लिए जरूरी सूचना नाम, पता, लिंग–भेद और जन्म–तिथि आदि हैं। यह सूचना "अपने निवासी को जानें" (के वाई आर) डाटा के बारे में है। जब निवासी एक नामांकन केन्द्र पर आधार हेतु नामांकित होने आता है तो जनसांख्यिकीय सूचना ऐसे दस्तावेजों से दर्ज की जायेगी जिन्हें निवासी देता है।

   यदि निवासी के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं तो निवासी नामांकन एजेंसी को नाम, आयु, पता आदि जैसी सूचना देगा और इसको ऐसे व्यक्ति द्वारा पक्का किया जायेगा जिसे "परिचयकर्ता" कहा जायेगा।

2. **बैंक खाते के बारे में**

   इसके अलावा, निवासी के बैंक खाते के बारे में सूचना,यदि निवासी अपनी आधार संख्या के साथ इसे रखना चाहता है तो दी जा सकती है। निवासी इस पर आधार से जुड़े बैंक खाते को भी दे सकता है। इस पर निर्णय लेना निवासी की अपनी मर्जी है।

3. के वाई आर + सूचना

के वाई आर डाटा के अलावा, राज्य सरकारों या पंजीयकों को पी डी एस, मनरेगा, आर एस बी वाई, मध्यान्ह भोजन योजना आदि जैसी उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर लक्ष्य निर्धारण के लिए निवासियों के बारे में और सूचना लेनी जरूरी हो सकती है। उदाहरणार्थ उन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या, वैवाहिक स्थिति, बी पी एल स्थिति या राशन कार्ड की संख्या या नरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि की जरूरत हो सकती है। नाम, पता और जन्म तिथि के अलावा सभी अतिरिक्त सूचना को **के वाई आर** + के रूप में तय किया है।

बायोमेट्रिक सूचना

बायोमेट्रिक सूचना मानव शरीर की शारीरिक विशेषताओं जैसे अंगुलियों के निशान, चेहरे की छवि या पुतलियों के नमूने की पैमाइश हैं जिन्हें हर व्यक्ति की पहचान करने में प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी हमें कुछ ऐसी विशेषताओं को दर्ज करने में मदद करती है जो हमारी पहचान को दूसरों से अलग बनाती हैं। इन शारीरिक विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं–

- अंगुलियों के निशान
- चेहरे की फोटो
- आइरिस (पुतलियाँ)

निवास और पहचान के लिए दस्तावेजी सबूत देना होगा। परिचयकर्ताओं की भूमिका ऐसे निवासियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण रहती है जिनके पास निवास के पते की पहचान का सबूत नहीं है। ऐसे निवासी परिचयकर्ताओं की मदद से अपने आपको नामांकित कर सकते हैं।

परिचयकर्ता कौन है?

आधार नामांकन में पते और घर का सबूत देना जरूरी है। दस्तावेजों की प्रमाणिकता सत्यापनकर्ताओं द्वारा पूरे तौर पर सत्यापित होती है। परन्तु देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग खासतौर पर निर्धन और कमजोर लोगों के पास घर और पहचान का सबूत देने के लिए कोई दस्तावेज नहीं होते हैं। ऐसे निवासी आधार में खुद को नामांकित करवाने के लिए किसी परिचयकर्ता की मदद ले सकते हैं। पंजीयक एक ऐसे व्यक्ति को परिचयकर्ता नामजद करता है जो उन निवासियों की पहचान पक्का करता है जिनके पास अपनी पहचान और पते से संबंधित कोई मान्य दस्तावेज नहीं होता है। परिचयकर्ता उन्हीं लोगों के पहचान और पते पुष्ट करता है जिन्हें वह जानता है। परिचयकर्ता के आधार और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए पुष्टि की जाती है। इसलिए, परिचयकर्ता को सबसे पहले अपने आपको नामांकित करके आधार पाना जरूरी होगा।

पचियकर्ता 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिये और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये।

परिचयकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे पंजीयक द्वारा ऐसे निवासी का परिचय देने को कहा जाता है जिनके पास पते और पहचान का कोई दस्तावेज नहीं होता है। **यह परिचय देना निवासी के चरित्र का प्रमाण पत्र देना नहीं होता है।** परिचयकर्ता, पंजीयक द्वारा पहचान किए खास व्यक्ति होते हैं और जिन्हें "परिचयकर्ताओं" के रूप में यू आई डी ए आई के सी आई डी आर में पंजीकृत किया जाता है। (उदाहरण के लिए इनमें पंजीयक के कर्मचारियों, चुने गए लोकल बॉडी के सदस्यों, लोकल प्रशासनिक निकायों के सदस्यों, डाकियों, प्रभावशाली व्यक्ति जैसे अध्यापकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों, आंगनवाड़ी/आशा के कामगारों, स्थानीय एन जी ओ के प्रतिनिधियों आदि को शामिल किया जाता है। कुछ मामलों में, यू आई डी ए आई के क्षेत्रीय कार्यालय खुद पंजीयकों की सहुलियत के लिए परिचयकर्ताओं की पहचान करके उनकी नियुक्ति कर सकते हैं।

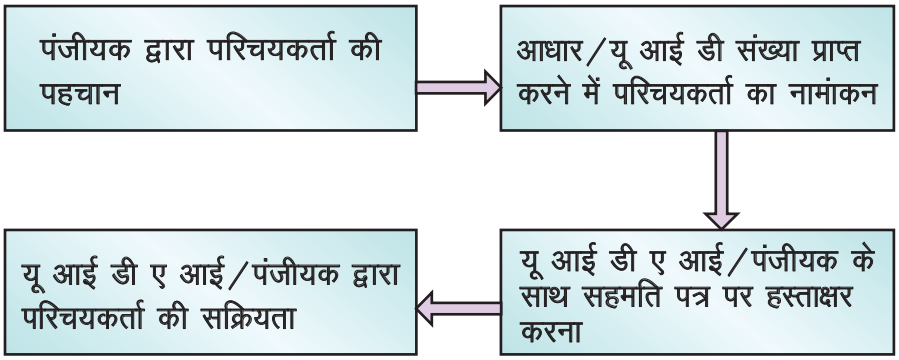

परिचयकर्ता प्रणाली से किसे फायदा पहुंच सकता है

जैसा पहले बताया है कोई भी परिचयकर्ता अपने जान–पहचान वाले निवासियों का ही परिचय करा सकता है परिचयकर्ता पंजीयक के सम्पर्क में होंगे और उसी परिचयकर्ता को एक से अधिक पंजीयक द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक संबंधित पंजीयक द्वारा उनकी पहचान की जाती है और वे खास उसी पंजीयक के लिए यू आई डी ए आई के सी आई डी आर में "परिचयकर्ताओं" के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। अतः, एक परिचयकर्ता पंजीयक के दायरे में आने वाले निवासियों का ही परिचय दे सकता है। इसके अलावा, पंजीयक परिचयकर्ता के कार्यों को राज्य, जिला स्तर तक भी सीमित रख सकता है।

परिचयकर्ता बनने से पहले की आवश्यकताएं

- 18 वर्ष की आयु होनी चाहिये।
- कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये।
- यू आई डी ए आई के अन्तर्गत नामांकित होना चाहिये।
- उसके पास आधार/विशेष पहचान नम्बर होना चाहिये।
- परिचयकर्ता को पंजीयक/क्षेत्रीय कार्यालय–यू आई डी ए आई द्वारा नोटिफाई होना चाहिये।
- उसे परिचयकर्ता के कार्य और जिम्मेवारियों को निभाने के लिए लिखित में सहमति देनी होगी।

परिचयकर्ता के कार्य और जिम्मेवारियां

- परिचयकर्ताओं को नामांकन फार्म के सही और पूरा भरा होने के लिए निवासी के नाम तथा पते की जांच और फार्म में अपने ब्योरे की जांच करनी चाहिये और तब नामांकन फार्म में दी गई जगह पर अपने साइन/अंगूठे का निशान लगाना चाहिये।

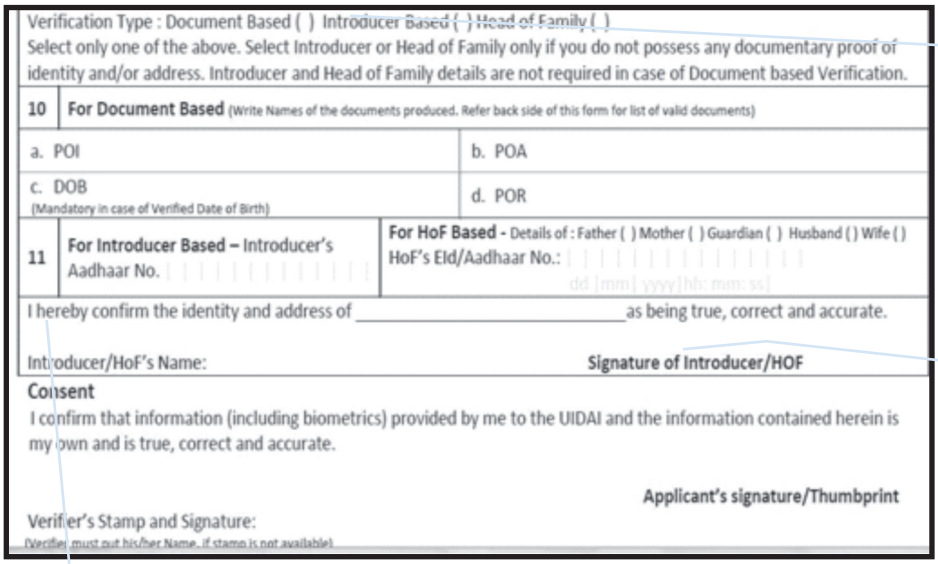

Verification Type : Document Based ( ) Introducer Based ( ) Head of Family ( )
Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/or address. Introducer and Head of Family details are not required in case of Document based Verification.

10 **For Document Based** (Write Names of the documents produced. Refer back side of this form for list of valid documents)

a. POI | b. POA
c. DOB (Mandatory in case of Verified Date of Birth) | d. POR

11 **For Introducer Based –** Introducer's Aadhaar No.

For HoF Based - Details of : Father ( ) Mother ( ) Guardian ( ) Husband ( ) Wife ( )
HoF's EId/Aadhaar No.:

I hereby confirm the identity and address of _____ as being true, correct and accurate.

Introducer/HoF's Name: Signature of Introducer/HOF

Consent
I confirm that information (including biometrics) provided by me to the UIDAI and the information contained herein is my own and is true, correct and accurate.

Applicant's signature/Thumbprint

Verifier's Stamp and Signature:
(Verifier must put his/her Name, if stamp is not available)

अगर नामांकन परिचयकर्ता आधारित है तो यहाँ (✓) करें।

परिचयकर्ता के साइन/अंगूठे के निशान के लिए जगह

परिचयकर्ता के नाम के लिए जगह

- परिचयकर्ताओं को निवासियों की पहचान करने के लिए नामांकन सेन्टर में कार्य के दौरान हाजिर होना चाहिये और यदि वे उस दौरान हाजिर नहीं होते हैं तो वे दिन की समाप्ति पर नामांकन सेन्टर में जाकर निवासियों की सूची की जांच करके बकाया निवासियों का परिचय कार्य पूरा कर सकते हैं।
- परिचयकर्ता को ध्यानपूर्वक निवासी के नाम और पते की जांच करके अपनी मंजूरी देनी चाहिये या रद्द करना चाहिये।
- परिचयकर्ता को निवासी के नामांकन की मंजूरी के लिए आधार क्लाईंट पर अपने बायोमेट्रिक देने होंगे।
- परिचयकर्ता को नामांकन के लिए सहमति पत्र पर अपने साइन/अंगूठे का निशान भी देना होगा।
- परिचयकर्ता जिन निवासियों का परिचय दे रहा है उनकी पहचान और पते को पक्का करना होगा।
- परिचयकर्ता को उन्हीं निवासियों का परिचय देना चाहिये जिनके पास पहचान या पते का दस्तावेजी सबूत नहीं है। परिचयकर्ता के पास जो आयें उन सभी का परिचय देने की जरूरत नहीं है।
- परिचयकर्ताओं को सौंपे गए केन्द्रों के नामांकन के समय, स्थान और कार्यावधि का पता होना चाहिये।

परिचयकर्ता निवासियों को परिचित करवाने की फीस वसूली नहीं कर सकता है। फिर भी, पंजीयक इस काम के लिए उन्हें निर्धारित मानदेय दे सकता है।

- उन्हें सुनिश्चित करना है कि नामांकन सेन्टर में दिखाये गए उनके सम्पर्क करने की सूचना सही हो। यदि सूचना नहीं दिखाई जाती है या गलत दी गई हो तो सेन्टर के सुपरवाइजर को उसे सही करने को कह सकते हैं।

परिचयकर्ता की देयताएं :

- परिचयकर्ता को नामांकन के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की सांठ–गांठ नहीं करनी चाहिये।
- परिचयकर्ता को जानबूझकर किसी आधार धारक की जनसांख्यिकीय सूचना बदलकर या गलत बायोमेट्रिक सूचना देने में सांठ–गांठ करके किसी अन्य व्यक्ति की पहचान देकर मदद नहीं करनी चाहिये।
- मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के लिए परिचयकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएंगी।
- पंजीयक और यू आई डी ए आई द्वारा उन्हें आधार कार्यक्रम की जानकारी देने और परिचयकर्ता को उनकी जिम्मेवारियों और कार्य समझाने के लिए आयोजित आधार जागरूकता वर्कशाप में हाजिर होना होगा।

अनुबंध

परिचयकर्ता द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र

सेवा में,

..... (नाम / पंजीयक नोडल अधिकारी का पदनाम)

..... (पंजीयक का नाम)

मैं, (नाम) ..... (सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी) श्री ..... निवासी .... और (संगठन) ..... में ..... के पद पर कार्यरत हूँ, आधार हेतु निवासियों के नामांकन करवाने के प्रयोजनार्थ एक परिचयकर्ता होने के फलस्वरूप सहमति देता हूँ और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पंजीयक द्वारा परिचयकर्ताओं के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करूँगा। मैं उस निवासी का ही परिचय दूँगा जिनकी पहचान और पते को मैं व्यक्तिगतरूप से जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि यू आई डी ए आई मेरे परिचय देने पर आधारित विशेष पहचान संख्या (आधार) जारी करने पर कार्यवाही करेगा।

मैं, नामांकन के दौरान किसी अन्य व्यक्ति (मृत या जीवित) के छद्म रूप में किसी व्यक्ति के साथ सांठ–गांठ करके किसी अन्य व्यक्ति की पहचान देकर मदद नहीं करूँगा।

आधार संख्या / नामांकन संख्या :

नाम :

पदनाम:

हस्ताक्षर :

दिनांक :

लैन्डलाइन दूरभाष : (कार्यालय और आवास):

मोबाइल नम्बर :

ई–मेल :

[1] पंजीयक इस दस्तावेज का स्थानीय भाषा में अनुवाद करवायेगा।